



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 37 पटना, बुधवार, 25 भाद्र 1948 (श0)
16 सितम्बर 2026 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-17	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9-विज्ञापन ---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 18-20	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 21-22
भाग-4-बिहार अधिनियम ---	पुरक ---
	पुरक-क 23-24

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

04 सितम्बर 2026

सं० 1/पी01-03/2025-10843/गृ०आ०—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री पूरन कुमार झा, भा०पु०से० (2018)	पुलिस अधीक्षक, पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना	पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना
2.	सुश्री कोमल मीणा, भा०पु०से० (2023)	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, विधि-व्यवस्था, पटना	पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना
3.	सुश्री सुषमा सागर, भा०पु०से० (2023)	सहायक पुलिस अधीक्षक, पटना	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, विधि-व्यवस्था, पटना
4.	श्री अनिकेत कुमार द्विवेदी, भा०पु०से० (2024)	सहायक पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- I, जहानाबाद
5.	सुश्री दीप्ति मोनाली, भा०पु०से० (2024)	सहायक पुलिस अधीक्षक, गयाजी	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जमुई
6.	श्री हेमन्त सिंह, भा०पु०से० (2024)	सहायक पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- I, नगर, भागलपुर
7.	श्री कार्तिकेयन ए०के०, भा०पु०से० (2024)	सहायक पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी- II, नगर, मुजफ्फरपुर
8.	श्री केतन अशोक इंगोले, भा०पु०से० (2024)	सहायक पुलिस अधीक्षक, दरभंगा	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रजौली, नवादा
9.	श्री प्रसन्ना कुमार एम०वी०, भा०पु०से० (2024)	सहायक पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण
10.	श्री सईम रजा, भा०पु०से० (2024)	सहायक पुलिस अधीक्षक, भागलपुर	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, नवगछिया

2. उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन से प्रभावित ऐसे पदाधिकारी जिनका अन्यत्र पदस्थापन नहीं हुआ है, वे तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में योगदान करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

03 सितम्बर 2026

सं०सं०-ई2-2-14/2022-56-श्रीमती सुनीता कुमारी (बि०नि०से०) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, नवगछिया, भागलपुर का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर चयन होने के फलस्वरूप उनके आवेदन दिनांक-07.08.2026 के आधार पर उक्त विभाग/बिपार्ड में योगदान की तिथि से विरमित किया जाता है।

2. श्रीमती सुनीता कुमारी द्वारा उक्त चयनित पद पर योगदान दिये जाने पर निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को कोई आपत्ति नहीं है।

3. बिहार सेवा संहिता के नियम- 68, 69 एवं 70 में निहित प्रावधान के तहत श्रीमती सुनीता का गहनाधिकार विरमन की तिथि से 02 वर्षों अथवा नव धारित पद पर सेवा सम्पुष्टि होने की तिथि, दोनों में जो पहले हो, तक रहेगा।

4. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-अपर
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

31 जुलाई 2026

सं० 17/स्था०(कार्य०प्रभार)/22-04/2026-13951/सा०प्र०-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित उप सचिव (वेतन स्तर-12) को संयुक्त सचिव के पद का, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान कोटि
1	2	3
1	श्री राय अमर नाथ सहाय, 17/26, छपरा	उप सचिव
2	श्री संजय कुमार सिंह, 18/26, गोपालगंज	उप सचिव
3	मो० शाहनवाज रिजवानी, 22/26, अररिया	उप सचिव
4	श्री आशुतोष कुमार, 26/26, लखीसराय	उप सचिव
5	श्री राजीव कुमार झा, 28/26, खगड़िया	उप सचिव
6	श्री बलिराम प्रसाद, 41/26, भोजपुर	उप सचिव
7	श्रीमती किरण कुमारी, 46/26, बेगूसराय	उप सचिव
8	श्री अरविन्द कुमार, 50/26, भोजपुर	उप सचिव
9	श्री शंकर दयाल, 51/26, नालंदा	उप सचिव
10	डॉ० सुनील कुमार, 57/26, अरवल	उप सचिव
11	श्री रामायण राम, 62/26, कैमूर	उप सचिव
12	श्री जितेन्द्र कुमार, 66/26, कटिहार	उप सचिव

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त सचिव के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

31 जुलाई 2026

सं० 17/स्था०(कार्य०प्रभार)/22-04/2026-13950/सा०प्र०—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित अवर सचिव (वेतन स्तर-11) को उप सचिव के पद का, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-12) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान कोटि
1	2	3
1	श्री राजीव कुमार, 95(क)/26, देवरिया (उत्तर प्रदेश)	अवर सचिव
2	श्री सदन कुमार झा, 95(ख)/26, मधुबनी	अवर सचिव
3	श्री मनोज कुमार, 100(क)/26, पटना	अवर सचिव
4	श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, 101(क)/26, मुंगेर	अवर सचिव
5	श्री जयन्त कुमार चक्रवर्ती, 103(क)/26, पटना	अवर सचिव
6	श्री सुनील कुमार तिवारी, 103(ख)/26, भोजपुर	अवर सचिव
7	श्री राजेश कुमार, 103(ग)/26, पूर्णियाँ	अवर सचिव
8	श्री आनन्द कुमार झा, 106(ख)/26, मधुबनी	अवर सचिव
9	श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, 107(क)/26, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)	अवर सचिव
10	श्री विजय प्रताप सिंह, 107(ख)/26, बक्सर	अवर सचिव
11	श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, 109(क)/26, पलामू (झारखण्ड)	अवर सचिव
12	श्री राजेश कुमार, 110(क)/26, नवादा	अवर सचिव
13	श्री गोपाल प्रसाद साह, 111(क)/26, पूर्णियाँ	अवर सचिव
14	श्री गौतम कुमार चौधरी, 111(ख)/26, भोजपुर	अवर सचिव
15	श्री राज किशोर प्रसाद, 114(क)/26, गया	अवर सचिव
16	श्री दामोदर सिंह, 115(क)/26, अररिया	अवर सचिव
17	श्री वीरेन्द्र कुमार व्यास, 118(क)/26, नवादा	अवर सचिव
18	श्री शिव कुमार राम, 121(क)/26, सहरसा	अवर सचिव
19	श्री चन्द्रदेव राम, 123(क)/26, सिवान	अवर सचिव
20	श्री नथुनी ठाकुर, 127(क)/26, मुजफ्फरपुर	अवर सचिव
21	श्री परमानन्द पाण्डेय, 146(क)/26, गिरिडीह (झारखण्ड)	अवर सचिव
22	श्री मनोरंजन कुमार मधु, 148(क)/26, राँची (झारखण्ड)	अवर सचिव
23	श्री अखिलेश कुमार, 149(क)/26, वैशाली	अवर सचिव
24	श्री गौरी शंकर झा, 149(ख)/26, दरभंगा	अवर सचिव
25	श्री मनोज कुमार, 150(क)/26, गढ़वा (झारखण्ड)	अवर सचिव
26	श्री दिलीप कुमार चौधरी, 156/26, जमुई	अवर सचिव
27	श्री रितेश कुमार, 177(क)/26, गोड्डा (झारखण्ड)	अवर सचिव

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उप सचिव में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप सचिव के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

31 जुलाई 2026

सं० 17/स्था०(कार्य०प्रभार)/22-04/2026-13949/सा०प्र०—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित प्रशाखा पदाधिकारी (वेतन स्तर-9) को अवर सचिव के पद का, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान कोटि
1	2	3
1	श्री उदय प्रताप, 106(क)/26, गया	प्रशाखा पदाधिकारी
2	श्री राकेश रंजन, 455/26, सहरसा	प्रशाखा पदाधिकारी
3	श्री राजेश केशरी, 514/26, पटना	प्रशाखा पदाधिकारी
4	श्री प्रभु शंकर, 622/26, बांका	प्रशाखा पदाधिकारी
5	श्री मनीष कुमार, 623/26, सारण	प्रशाखा पदाधिकारी
6	श्री नवल कुमार झा, 624/26, मधुबनी	प्रशाखा पदाधिकारी
7	श्री विवेक प्रसाद, 625/26, राँची (झा०)	प्रशाखा पदाधिकारी
8	श्री सिंधुनाथ झा, 626/26, अररिया	प्रशाखा पदाधिकारी
9	श्री राकेश कुमार, 627/26, जहानाबाद	प्रशाखा पदाधिकारी
10	श्री रजनीश कुमार सिंह, 628/26, रोहतास	प्रशाखा पदाधिकारी
11	श्री नरेन्द्र कुमार, 629/26, नवादा	प्रशाखा पदाधिकारी
12	श्री अविनाश कुमार, 630/26, बेगूसराय	प्रशाखा पदाधिकारी
13	श्री यदुबीर यादव, 631/26, मधुबनी	प्रशाखा पदाधिकारी
14	श्री शशि रंजन कुमार, 632/26, अरवल	प्रशाखा पदाधिकारी
15	श्री मनोज कुमार, 633/26, खगड़िया	प्रशाखा पदाधिकारी
16	श्री मुकेश पटेल, 634/26, मुजफ्फरपुर	प्रशाखा पदाधिकारी
17	श्री पंकज कुमार, 635/26, जहानाबाद	प्रशाखा पदाधिकारी
18	श्री सतीश कुमार, 636/26, रोहतास	प्रशाखा पदाधिकारी
19	श्री मनीष कुमार मिश्रा, 637/26, भोजपुर	प्रशाखा पदाधिकारी
20	श्री सुनील कुमार सिंह, 638/26, बेगूसराय	प्रशाखा पदाधिकारी
21	श्री शैलेश कुमार, 639/26, सारण	प्रशाखा पदाधिकारी
22	श्री सुमन सौरभ, 640/26, लखीसराय	प्रशाखा पदाधिकारी
23	श्री प्रवीण कुमार बबलू, 641/26, लखीसराय	प्रशाखा पदाधिकारी
24	श्री सुजीत कुमार लाल, 642/26, भागलपुर	प्रशाखा पदाधिकारी
25	श्री रंजीत कुमार ठाकुर, 643/26, बांका	प्रशाखा पदाधिकारी
26	श्री रमेश कुमार, 644/26, पटना	प्रशाखा पदाधिकारी
27	श्री राकेश कुमार, 645/26, नालन्दा	प्रशाखा पदाधिकारी
28	श्री शशिकांत कुमार सिंह, 646/26, बक्सर	प्रशाखा पदाधिकारी
29	श्री कलेन्द्र कुमार, 647/26, नालन्दा	प्रशाखा पदाधिकारी
30	श्री पप्पु कुमार, 648/26, जहानाबाद	प्रशाखा पदाधिकारी
31	श्री विकास कुमार, 649/26, भागलपुर	प्रशाखा पदाधिकारी
32	श्री जय प्रकाश सिंह, 650/26, कैमूर	प्रशाखा पदाधिकारी
33	श्री करण गुप्ता, 651/26, पटना	प्रशाखा पदाधिकारी
34	श्री अमित कुमार, 652/26, लखीसराय	प्रशाखा पदाधिकारी
35	श्री संजीव रंजन, 653/26, नालन्दा	प्रशाखा पदाधिकारी
36	श्री अनिल कुमार तिवारी, 654/26, सारण	प्रशाखा पदाधिकारी

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान कोटि
1	2	3
37	श्री अनिल कुमार, 655/26, मधुबनी	प्रशाखा पदाधिकारी
38	श्री प्रतिभाष झा, 656/26, पूर्णियाँ	प्रशाखा पदाधिकारी
39	श्री मंजीत कुमार सिंह, 657/26, मुंगेर	प्रशाखा पदाधिकारी
40	श्री दिनेश कुमार, 659/26, पटना	प्रशाखा पदाधिकारी
41	श्री प्रभात कुमार सिंह, 660/26, पटना	प्रशाखा पदाधिकारी
42	श्री मनोज कुमार पाण्डेय, 661/26, सिवान	प्रशाखा पदाधिकारी
43	श्री रामनारायण कुमार, 662/26, पटना	प्रशाखा पदाधिकारी
44	श्री राकेश कुमार, 663/26, मुजफ्फरपुर	प्रशाखा पदाधिकारी
45	श्री राकेश कुमार, 664/26, भोजपुर	प्रशाखा पदाधिकारी
46	श्री राजीव रंजन, 665/26, पटना	प्रशाखा पदाधिकारी
47	श्री विनीत कुमार वर्मा, 666/26, सुपौल	प्रशाखा पदाधिकारी
48	श्री दिलीप कुमार, 667/26, समस्तीपुर	प्रशाखा पदाधिकारी
49	श्री रविरंजन कुमार, 668/26, पटना	प्रशाखा पदाधिकारी
50	श्री मनीष कुमार, 669/26, पटना	प्रशाखा पदाधिकारी
51	श्री उमेश्वर कुमार सिंह, 670/26, पू० चम्पारण	प्रशाखा पदाधिकारी
52	श्री शशि कान्त सिंह, 671/26, बक्सर	प्रशाखा पदाधिकारी
53	श्री राजन कुमार गुप्ता, 672/26, सारण	प्रशाखा पदाधिकारी
54	श्री विकाश चन्द्र राय, 673/26, पूर्वी सिंहभूम (झारखण्ड)	प्रशाखा पदाधिकारी
55	श्री राजेश कुमार, 674/26, गया	प्रशाखा पदाधिकारी
56	श्री रंजन कुमार, 675/26, दरभंगा	प्रशाखा पदाधिकारी
57	श्री अंगेश भूषण, 676/26, समस्तीपुर	प्रशाखा पदाधिकारी
58	श्री संजय कुमार झा, 677/26, मधुबनी	प्रशाखा पदाधिकारी
59	श्री अशोक कुमार, 678/26, सीतामढ़ी	प्रशाखा पदाधिकारी
60	श्री संदीप कुमार, 679/26, भागलपुर	प्रशाखा पदाधिकारी
61	श्री दिलीप कुमार, 680/26, मधुबनी	प्रशाखा पदाधिकारी
62	श्री सज्जन जी झा, 681/26, मधुबनी	प्रशाखा पदाधिकारी
63	श्री संतोष कुमार, 682/26, पटना	प्रशाखा पदाधिकारी
64	श्री रामलखन यादव, 683/26, गया	प्रशाखा पदाधिकारी
65	श्री शेख मसीह कुँवर, 684/26, नालन्दा	प्रशाखा पदाधिकारी
66	श्री विनय कुमार सिंह, 685/26, जौनपुर (उ०प्र०)	प्रशाखा पदाधिकारी

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक अवर सचिव (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-11) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अवर सचिव के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

31 जुलाई 2026

सं० 17/स्था०(कार्य०प्रभार)/22-04/2026-13948/सा०प्र०—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को प्रशाखा पदाधिकारी के पद का, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-09) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान कोटि
1	2	3
1	श्री शशि रंजन प्रसाद, 292/26, पटना	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
2	श्री आशुतोष ऋत्विक्, 400/26, पटना	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
3	श्री अजीत कुमार शर्मा, 940/26, समस्तीपुर	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
4	श्री लालु कुमार यादव, 1395/26, मधुबनी	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
5	श्री अमित रंजन, 1469/26, नालन्दा	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6	श्री उदय कुमार, 1495/26, पटना	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
7	मो० इसरार अंसारी, 1516/26, कैमूर	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक प्रशाखा पदाधिकारी (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-09) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

5. उत्क्रमित प्रशाखा पदाधिकारी को अगले आदेश तक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का कार्य किये जाने का आदेश दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

05 अगस्त 2026

सं० 1/अ०-1014/2025-14179/सा०प्र०—श्रीमती श्रेया श्री, भा.प्र.से. (बी एच: 2022) को विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ०-1014/2025-सा०प्र०-232 दिनांक 02.01.2026 द्वारा दिनांक 01.01.2026 से 29.06.2026 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के लिए स्वीकृत मातृत्व छुट्टी की निरंतरता में विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ०-1014/2025-सा०प्र०-11145 दिनांक 22.06.2026 के माध्यम से दिनांक 30.06.2026 से 28.08.2026 तक कुल 60 (साठ) दिनों की शिशु देखभाल छुट्टी (Child Care Leave) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. श्रीमती श्रेया श्री, भा.प्र.से. (बी एच: 2022), सम्प्रति, सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत, से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 31.07.2026 के आलोक में विभागीय अधिसूचना दिनांक 22.06.2026 के माध्यम से उनके पक्ष में स्वीकृत उपर्युक्त शिशु देखभाल छुट्टी (Child Care Leave) को दिनांक 30.06.2026 से 30.07.2026 तक कुल 31 (इकतीस) दिनों के लिए पुनरीक्षित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी
सरकार के अपर सचिव।

06 अगस्त 2026

सं० 1/अ०-413/2007-14277/सा०प्र०—विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ०-413/2007-सा०प्र०-13304, दिनांक 22.07.2026 द्वारा श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से. (2004), सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार -बियाड़ा/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार-आइडा/सचिव, गृह विभाग) को दिनांक 29.08.2026 एवं 30.08.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 10.08.2026 से 28.08.2026 तक कुल 19 (उन्नीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति तथा आलोच्य छुट्टी अवधि के दौरान दिनांक-12.08.2026 से 29.08.2026 तक कुल 18 (अठारह) दिनों के लिए वैयक्तिक व्यय पर संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) की निजी विदेश यात्रा हेतु

एक्स-इंडिया लीव की प्रदत्त अनुमति से संबंधित अनुपस्थिति अवधि के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या-13304 दिनांक 22.07.2025 द्वारा गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार डॉ. बी. राजेन्दर, भा.प्र.से.(1995) को दिया गया था।

2. भारत सरकार की अधिसूचना के आलोक में डॉ. बी. राजेन्दर द्वारा निदेशक (सचिव स्तर), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी का प्रभार ग्रहण किए जाने के कारण श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से. की संदर्भित अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री प्रणव कुमार, भा.प्र.से.(2008), सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

07 अगस्त 2026

सं० 1/एल०-27/2002-14361/सा०प्र०—विभागीय अधिसूचना संख्या-1/एल०-27/2002-सा०प्र०-11545, दिनांक-30.06.2026 के माध्यम से श्री संजीव हंस, भा.प्र.से.(1997), अपर सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना को दिनांक 26.06.2026 के राजपत्रित अवकाश का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 12.06.2026 से 25.06.2026 तक कुल 14 (चौदह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदत्त थी।

2. श्री संजीव हंस, भा.प्र.से.(1997) से प्राप्त अद्यतन आवेदन दिनांक-15.07.2026 के आलोक में विभागीय अधिसूचना दिनांक 30.06.2026 के माध्यम से उनके पक्ष में स्वीकृत दिनांक 12.06.2026 से 25.06.2026 तक कुल 14 (चौदह) दिनों की उपार्जित छुट्टी को दिनांक 10.06.2026 एवं 11.06.2026 से परिमार्जित करते हुए संदर्भित छुट्टी को दिनांक 10.06.2026 से 14.07.2026 तक कुल 35 (पैंतीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी के रूप में पुनरीक्षित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

10 अगस्त 2026

सं० 1/छु०-425/06-14463/सा०प्र०—श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा.प्र.से. (बी एच: 1995), अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्वद, पटना) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत रियायती छुट्टी यात्रा हेतु रामेश्वरम् (तमिलनाडु) जाने के लिए दिनांक 08.08.2026 एवं 09.08.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 10.08.2026 से 20.08.2026 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा.प्र.से. की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्व के अतिरिक्त प्रभार में मो० सोहैल, भा.प्र.से.(2007), सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

11 अगस्त 2026

सं० 1/अ०-413/2007-14504/सा०प्र०—श्री अभय कुमार सिंह, भा.प्र.से.(2004), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार-सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सचिव, उद्योग विभाग-श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से., सचिव, उद्योग विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-13304 दिनांक 22.07.2026 द्वारा दिनांक 29.08.2026 एवं 30.08.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 10.08.2026 से 28.08.2026 तक कुल 19 (उन्नीस) दिनों के लिए प्रदत्त उपार्जित छुट्टी अवधि तक के लिए, श्री कुन्दन कुमार की आलोच्य छुट्टी अवधि तक के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा)/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आइडा) के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

11 अगस्त 2026

सं० 1/अ०-1010/2020-14573/सा०प्र०—श्री अनिल कुमार, भा.प्र.से.(बी एच:2017), निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य संवाद समिति, पटना) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम- 10, 11 एवं 20 के तहत वैयक्तिक व्यय पर मॉरीशस की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 01.09.2026 से 07.09.2026 तक कुल 07 (सात) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रूप में प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग (सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

11 अगस्त 2026

सं० 1/अ०-20/2009-14574/सा०प्र०—डॉ० आशिमा जैन, भा.प्र.से.(बी एच: 2008), अपर सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 08.08.2026 एवं 09.08.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्रीफिक्स) एवं दिनांक 29.08.2026 एवं 30.08.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 10.08.2026 से 28.08.2026 तक कुल 19 (उन्नीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. डॉ० आशिमा जैन, भा.प्र.से. की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों हेतु प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित कार्यालय (राजस्व पर्वद, बिहार, पटना) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

11 अगस्त 2026

सं० 1/सी०-1002/2021-14576/सा०प्र०—श्री सी. के. अनिल, भा.प्र.से. (1991), परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्वद, पटना को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-11030/04/2025-ए आई एस-11/(पे) दिनांक 28.07.2026 में निहित निर्देश के आलोक में प्रभार ग्रहण की तिथि से शीर्ष वेतनमान (स्तर-17-रु.2,25,000/-नियत) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

17 अगस्त 2026

सं० 1/पी०-1001/2026-14929/सा.प्र.—श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा.प्र.से. (1995), अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्वद, पटना) अगले आदेश तक महानिदेशक, बिपार्ड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-14930/सा.प.—श्री एच. आर. श्रीनिवास, भा.प्र.से.(1996), अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री श्रीनिवास जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-14931/सा.प्र.—श्री पंकज कुमार, भा.प्र.से.(1997), प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार —जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार वर्तमान में धारित जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से. (2004), सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार फाउण्डेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार-बियाडा,

पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार—आइडा, पटना/सचिव, गृह विभाग) वर्तमान में धारित सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-14932/सा.प्र.—श्री विनय कुमार, भा.प्र.से.(1999), प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार अगले आदेश तक प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-14933/सा.प्र.—श्री राजेश कुमार, भा.प्र.से. (2001), प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-14934/सा.प्र.—श्री मयंक वरवड़े, भा.प्र.से.(2001), आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-14935/सा.प्र.—श्री संजय कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2007), सचिव, वित्त विभाग (सम्पूर्ण प्रभार), बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—सचिव, वाणिज्य—कर विभाग/वाणिज्य—कर आयुक्त/अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर—जी एस टी/सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह सचिव, वाणिज्य—कर विभाग/वाणिज्य—कर आयुक्त/अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर—जी एस टी/सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् रहेंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री नवीन कुमार, भा.प्र.से. (2011), विशेष सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रभारी सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग/प्रभारी सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना) वर्तमान में धारित प्रभारी सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-14936/सा.प्र.—श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा.प्र.से.(2007), सचिव, निर्वाचन विभाग—सह—मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—सचिव, शिक्षा विभाग—सम्पूर्ण प्रभार) अगले आदेश तक सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे और वर्तमान में धारित सचिव, शिक्षा विभाग (सम्पूर्ण प्रभार) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-14937/सा.प्र.—श्री बी. कार्तिकेय धनजी, भा.प्र.से. (2008), सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री धनजी जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-14938/सा.प्र.—श्री राजीव रौशन, भा.प्र.से.(2010), सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार—सचिव (संसाधन), वित्त विभाग} को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री रौशन अगले आदेश तक सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे और वर्तमान में धारित सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-14939/सा.प्र.—श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से. (2010), सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार—मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना} अगले आदेश तक सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-14940/सा.प्र.—श्री नवदीप शुक्ला, भा.प्र.से. (2013), विशेष सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार—अपर कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन पटना} अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी०-1001/2026-14941/सा.प्र.—श्री मनेश कुमार मीणा, भा.प्र.से. (2015), निदेशक, खान, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-14942/सा.प्र.—श्री रिची पाण्डेय, भा.प्र.से. (2016), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-14943/सा.प्र.—श्री विजय प्रकाश मीणा, भा.प्र.से. (2016), अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सिवान के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-14944/सा.प्र.—श्री तनय सुल्तानिया, भा.प्र.से. (2017), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं० 1/पी०-1001/2026-14945/सा.प्र.—श्री कुमार अनुराग, भा.प्र.से. (2019), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना(अतिरिक्त प्रभार— संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग) को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

20 अगस्त 2026

सं० 1/अ०-1001/2020-15276/सा०प्र०—श्रीमती प्रतिभा रानी, भा.प्र.से. (बी एच:2018), जिला पदाधिकारी, शिवहर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत वैयक्तिक व्यय पर नेपाल की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 02.09.2026 से 10.09.2026 तक कुल 09 (नौ) दिनों की उपार्जित छुट्टी का एक्स-इंडिया लीव के रूप में उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती रानी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में श्री संजय कुमार, उप विकास आयुक्त, शिवहर रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

24 अगस्त 2026

सं० 1/अ०-1025/2023-15553/सा०प्र०—सुश्री चन्द्रिमा अत्री, भा.प्र.से. (बी एच: 2020), निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-05, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 22.08.2026 एवं 23.08.2026 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 17.08.2026 से 21.08.2026 तक कुल 05 (पांच) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सुश्री अत्री की संदर्भित अनुपस्थिति अवधि के लिए उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार हेतु संबंधित विभाग (समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना) द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था मान्य होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

26 अगस्त 2026

सं० 1/पी0-1001/2026-15628/सा.प्र.—श्री अभय झा, भा.प्र.से.(2017), अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

28 अगस्त 2026

सं० 1/पी.-1001/2026-15736/सा.प्र.—श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2011), निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी.-1001/2026-15737/सा.प्र.—श्री श्रीकान्त शास्त्री, भा.प्र.से. (2012) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना, के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी.-1001/2026-15738/सा.प्र.—श्री विवेक रंजन मैत्रेय, भा.प्र.से. (2017) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक अपर सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी.-1001/2026-15739/सा.प्र.—श्री नितिन कुमार सिंह, भा.प्र.से. (2018) (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी.-1001/2026-15740/सा.प्र.—श्रीमती नीलिमा साहू, भा.प्र.से. (2021), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नवादा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी.-1001/2026-15741/सा.प्र.—सुश्री दिव्या शक्ति, भा.प्र.से. (2022), (उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कैमूर, भभुआ के वर्तमान धारित पद के परित्याग के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने हेतु निदेशित) को अगले आदेश तक आयुक्त, उत्पाद, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

29 अगस्त 2026

सं० 1/पी0-1001/2026-15794/सा.प्र.—श्री सुनील कुमार, भा.प्र.से.(2014), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक अंकेक्षण, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी0-1001/2026-15795/सा.प्र.—श्री अंजनि कुमार, भा.प्र.से.(2016), उप विकास आयुक्त- सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पूर्णिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, वी बी-जी राम जी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्रीमती अनन्या सिंह, भा.प्र.से. (2020) अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार - आयुक्त, वी बी-जी राम जी) अतिरिक्त रूप से धारित-आयुक्त, वी बी-जी राम जी के पद से मुक्त हो जाएंगी।

सं० 1/पी0-1001/2026-15796/सा.प्र.—श्री अभय झा, भा.प्र.से.(2017), अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री झा अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

09 सितम्बर 2026

सं० 1/ए०-1-102/2020-702—बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-03 लो०से०आ०/गो०, दिनांक-13.08.2025 द्वारा दिनांक-07.08.2025 को प्रकाशित परीक्षाफल के आधार पर विज्ञापन सं०-32/2024 के विरुद्ध 112 उम्मीदवारों की कोटिवार अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी। विभागीय अधिसूचना सं०-649-सह-पठित ज्ञापांक-650, दिनांक-09.09.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं०-32/2024 के अंतर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा-II में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर कुल-109 अभ्यर्थियों को औपबधिक रूप से नियुक्त किया गया।

2. विभागीय पत्रांक-715, दिनांक-04.10.2025 द्वारा नव नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) को दिनांक-06.10.2025 से 05.12.2025 तक निर्धारित प्रशिक्षण में दिनांक-05.10.2025 के अपराह्न में बिपार्ड, गया जी परिसर में योगदान देने का निदेश दिया गया।

3. नियुक्ति उपरांत अवधि विस्तार हेतु प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में योगदान/सूचना नहीं देने वाले निम्नलिखित नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) को विभागीय पत्रांक-132, 133, 134, 137, 138, 139, 140 एवं पत्रांक-141, दिनांक-05.03.2026 द्वारा पत्र निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग में अपना योगदान करने का निदेश दिया गया। शेष निम्नलिखित 08 (आठ) सहायक अभियंता (असैनिक) के द्वारा विभाग में योगदान समर्पित नहीं किया गया :-

क्र० सं०	अनुक्रमांक/ समेकित मेधा क्रमांक	सहायक अभियंता (असैनिक) का नाम एवं पिता का नाम	स्थायी पता
1	2	3	4
1	107480/61	श्रीमती खुशबू कुमारी, पिता-श्री अशोक कुमार सिंह	श्रीमती खुशबू कुमारी, पिता-श्री अशोक कुमार सिंह, वार्ड सं०-08, ग्राम-शिवनार, थाना-मोकामा, जिला-पटना, पिन-803302
2	111120/62	श्रीमती नीतू शर्मा, पिता-श्री अनिल शर्मा,	श्रीमती नीतू शर्मा, पिता-श्री अनिल शर्मा, C/O-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्यालय, नियर गाँधी मैदान, मसौढ़ी, जिला-पटना, पिन-804452
3	108577/44	श्री पीयूष कुमार, पिता-स्व० महावीर दास	श्री पीयूष कुमार, पिता-स्व० महावीर दास, ग्राम-जैतीपुर, पो०+थाना-चण्डी, जिला-नालंदा, पिन-803108
4	100353/4	श्री प्रभाष अभिषेक, पिता-श्री प्रदीप कुमार वर्मा	श्री प्रभाष अभिषेक, पिता-श्री प्रदीप कुमार वर्मा, 181, जय प्रकाश नगर, लखीबाग, थाना-मुफसिल, पो०-बुनियादगंज, मानपुर, जिला-गया जी, पिन-823003
5	104472/19	श्री शुभम गुप्ता, पिता-श्री राधे श्याम गुप्ता	श्री शुभम गुप्ता, पिता-श्री राधे श्याम गुप्ता, 605/1, नियर कानपुर रेलवे लाइन, सी पी मिशन कम्पाउन्ड, झाँसी (उ०प्र०), पिन-284003
6	102155/709	सुश्री पूजा कुमारी, पिता-श्री दिनेश साह	सुश्री पूजा कुमारी, पिता-श्री दिनेश साह, मुंडीचक, नियर जी०पी०वर्मा लेन, सहारा मिशन स्कूल भागलपुर, पो०-हेड पोस्ट ऑफिस, थाना-तिलकामांझी, जिला- भागलपुर, पिन-812001

7	108996/101	श्री आलोक कुमार झा, पिता—श्री मनोज कुमार झा	श्री आलोक कुमार झा, पिता—श्री मनोज कुमार झा, ज्योति बिहार कॉलोनी, पो0—बहादुरपुर, थाना— जीरो माईल, जिला—भागलपुर, पिन—813210
8	114458/241	सुश्री बिन्नी कुमारी, पिता—श्री परमेश्वर कुमार	सुश्री बिन्नी कुमारी, पिता—श्री परमेश्वर कुमार, नियर स्टेट बोरिंग, न्यू एरिया, हरनीचक, वाशिष्ट कॉलोनी, पो0—अनिसाबाद, थाना—फुलवारी शरीफ, जिला—पटना, पिन—800002

4. पुनः योगदान/सूचना नहीं देने वाले उक्त नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) को विभागीय पत्रांक—264, 265, 258, 259, 260, 263, 262, 266 दिनांक—07.05.2026 द्वारा पत्र निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग में अपना योगदान करने का निदेश दिया गया। उक्त पत्र में उन्हें यह संसूचित किया गया कि निर्धारित अवधि में योगदान नहीं किये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द किये जाने के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा।

5. उक्त के आलोक में सुश्री पूजा कुमारी (अनुक्रमांक—102155) के अभ्यावेदन दिनांक—02.06.2026 द्वारा कम से कम 02 माह, श्री प्रभाष अभिषेक (अनुक्रमांक—100353) के अभ्यावेदन दिनांक—05.06.2026 द्वारा, जुलाई—2026 तक, श्री पीयूष कुमार, (अनुक्रमांक—108577) के अभ्यावेदन दिनांक—05.06.2026 द्वारा जुलाई—2026 तक एवं श्री शुभम गुप्ता, (अनुक्रमांक—104472) के अभ्यावेदन दिनांक—08.06.2026 द्वारा जुलाई—2026 तक अवधि विस्तार हेतु अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया।

6. श्रीमती खुशबू कुमारी (अनुक्रमांक—107480), श्रीमती नीतू शर्मा (अनुक्रमांक—111120), सुश्री बिन्नी कुमारी (अनुक्रमांक—114458) एवं श्री आलोक कुमार झा (अनुक्रमांक—108996) द्वारा विभाग में योगदान नहीं किया गया और न ही कोई सूचना विभाग में समर्पित की गयी।

7. नियुक्ति होने के उपरांत योगदान/सूचना नहीं देने वाले कुल—08 नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) द्वारा योगदान हेतु अवधि विस्तार किये जाने का अनुरोध की अवधि समाप्त होने के उपरांत नैसर्गिक न्याय के तहत मौका दिए जाने के बावजूद भी उनके द्वारा निर्धारित तिथि तक अपना योगदान समर्पित नहीं किया।

8. अतः सम्यक विचारोपरांत नियुक्ति हेतु निर्गत अधिसूचना के उपरांत विभाग में योगदान नहीं करने वाले उक्त 08 (आठ) नव नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) यथा—श्रीमती खुशबू कुमारी (अनुक्रमांक—107480), श्रीमती नीतू शर्मा (अनुक्रमांक—111120), श्री पीयूष कुमार, (अनुक्रमांक—108577), श्री प्रभाष अभिषेक (अनुक्रमांक—100353), श्री शुभम गुप्ता, (अनुक्रमांक—104472), सुश्री पूजा कुमारी (अनुक्रमांक—102155), श्री आलोक कुमार झा (अनुक्रमांक—108996) एवं सुश्री बिन्नी कुमारी (अनुक्रमांक—114458) की नियुक्ति संबंधी दावा/अभ्यर्थित्व को अधिसूचना निर्गत की तिथि से निरस्त/रद्द किया जाता है।

9. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
नित्यानन्द प्रसाद,
अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (मुख्यालय)।

09 सितम्बर 2026

सं० 1/ए0—1—102/2020—706—बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक—03 लो०से०आ०/गो०, दिनांक—13.08.2025 द्वारा दिनांक—07.08.2025 को प्रकाशित परीक्षाफल के आधार पर विज्ञापन सं०—32/2024 के विरुद्ध 112 उम्मीदवारों की कोटिवार अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी। विभागीय अधिसूचना सं०—649—सह—पठित ज्ञापांक—650, दिनांक—09.09.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं०—32/2024 के अंतर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा—II में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर कुल—109 अभ्यर्थियों को औपबधिक रूप से नियुक्त किया गया।

2. विभागीय पत्रांक—715, दिनांक—04.10.2025 द्वारा नव नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) को दिनांक—06.10.2025 से 05.12.2025 तक निर्धारित प्रशिक्षण में दिनांक—05.10.2025 के अपराह्न में बिपार्ड, गया जी परिसर में योगदान देने का निदेश दिया गया।

3. सहायक निदेशक-सह-सत्र समन्वयक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया जी के पत्रांक-बिपार्ड (गया)/7232, दिनांक-14.10.2025 द्वारा श्री शाश्वत कुमार से प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक-14.10.2025 को उक्त प्रशिक्षण से विरमित कर दिया गया है। श्री कुमार द्वारा विरमित होने के उपरांत विभाग में योगदान नहीं किया गया। तदोपरांत श्री शाश्वत कुमार के अभ्यावेदन दिनांक-16.10.2025 द्वारा अपने निजी कारणों से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद से त्याग पत्र समर्पित कर दिया गया है।

4. अतः सम्यक विचारोपरांत श्री शाश्वत कुमार (अनुक्रमांक-115953) को बिपार्ड, गया से विरमित करने की तिथि-14.10.2025 के प्रभाव से त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नित्यानन्द प्रसाद,
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)।

09 सितम्बर 2026

सं० 1/ए०-1-101/2024-708-—बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-04 लो०से०आ०/गो०, दिनांक-13.08.2025 द्वारा दिनांक-07.08.2025 को प्रकाशित परीक्षाफल के आधार पर विज्ञापन सं०-33/2024 के विरुद्ध 05 उम्मीदवारों की कोटिवार अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी। विभागीय अधिसूचना सं०-651-सह-पठित ज्ञापांक-652, दिनांक-09.09.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं०-33/2024 के अंतर्गत सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा-II में सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर कुल-05 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से नियुक्त किया गया।

2. तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-715, दिनांक-04.10.2025 द्वारा नव नियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) को दिनांक-06.10.2025 से 05.12.2025 तक निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में दिनांक-05.10.2025 के अपराह्न में बिपार्ड, गया जी परिसर में योगदान देने का निदेश दिया गया। जिसके आलोक में 04 (चार) सहायक अभियंता (यांत्रिक) द्वारा प्रशिक्षण हेतु बिपार्ड, गया में योगदान किया गया एवं शेष निम्नलिखित 01 (एक) सहायक अभियंता (यांत्रिक) के द्वारा बिपार्ड, गया/विभाग में योगदान समर्पित नहीं किया गया :-

क्र० सं०	अनुक्रमांक/ मेधा क्रमांक	सहायक अभियंता (यांत्रिक) का नाम एवं पिता का नाम	स्थायी पता
1	2	3	4
1	200794/ 50	श्री गणेश कुमार पिता-श्री अखिलेश्वर सिंह	श्री गणेश कुमार, पिता-श्री अखिलेश्वर सिंह, मोहल्ला-सिद्धार्थपुरी, कॉलोनी रोड-01, पो०-बुनियादगंज, थाना-मुफ्फसिल, मानपुर, जिला-गया जी, पिन-823003

3. श्री गणेश कुमार का ई-मेल से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक-08.10.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि स्वयं के चिकित्सा कारणों से कम से कम 04 माह के अवधि विस्तार करने का अनुरोध किया गया है। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-136, दिनांक-05.03.2026 द्वारा श्री कुमार को 30 दिनों के अन्दर विभाग में योगदान करने का निदेश दिया गया। उक्त पत्र को निबंधित डाक से भेजा गया, जो विभाग में बिना तामिला वापस प्राप्त हो गया। ई-मेल के माध्यम से भी श्री कुमार को पत्र को भेजा गया है। परंतु उनके द्वारा विभाग में योगदान नहीं किया गया है न ही कोई सूचना विभाग में समर्पित किया गया।

4. तत्पश्चात् पुनः पत्रांक-261, दिनांक-07.05.2026 द्वारा श्री कुमार द्वारा 30 दिनों के अन्दर विभाग में योगदान करने का निदेश दिया गया। जिसमें उन्हें संसूचित किया गया कि निर्धारित अवधि में योगदान नहीं किये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द किये जाने के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। तदोपरांत भी श्री कुमार द्वारा विभाग में न तो योगदान किया गया है और न ही इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध कराया गया।

5. श्री कुमार द्वारा योगदान हेतु अवधि विस्तार किये जाने का अनुरोध की अवधि समाप्त होने के उपरांत नैसर्गिक न्याय के तहत विभाग में योगदान हेतु मौका दिए जाने के बावजूद भी श्री कुमार द्वारा निर्धारित तिथि तक अपना योगदान समर्पित नहीं किया गया।

6. अतः सम्यक विचारोपरांत नियुक्ति हेतु निर्गत अधिसूचना के उपरांत विभाग में योगदान नहीं करने वाले उक्त 01 (एक) नव नियुक्त सहायक अभियंता (यांत्रिक) यथा—श्री गणेश कुमार (अनुक्रमांक—200794) की नियुक्ति संबंधी दावा/अभ्यर्थित्व को अधिसूचना निर्गत की तिथि से निरस्त/रद्द किया जाता है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
नित्यानन्द प्रसाद,
अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (मुख्यालय)।

09 सितम्बर 2026

सं० 1/ए०-1-102/2020-704—बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-03 लो०से०आ०/गो०, दिनांक-13.08.2025 द्वारा दिनांक-07.08.2025 को प्रकाशित परीक्षाफल के आधार पर विज्ञापन सं०-32/2024 के विरुद्ध 112 उम्मीदवारों की कोटिवार अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के आलोक में कुल अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग/सत्यापन दिनांक-29.08.2025 को किया गया। जिसमें कुल-110 अभ्यर्थी उपस्थित हुए एवं 02 अभ्यर्थी अनुशंसा सूची के अनारक्षित कोटि के क्र.सं.-09 पर अंकित श्री ज्योति प्रकाश, अनुक्रमांक-114391 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के क्र.सं.-13 पर अंकित सुश्री कोमल कुमारी, अनुक्रमांक-104163 काउंसलिंग/सत्यापन में उपस्थित नहीं हुए।

2. तदोपरांत विभागीय पत्रांक-863, दिनांक-22.12.2025 द्वारा श्री ज्योति प्रकाश, अनुक्रमांक-114391 एवं सुश्री कोमल कुमारी, अनुक्रमांक-104163 को पुनः काउंसलिंग/सत्यापन की तिथि-05.01.2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित की गयी। परंतु निर्धारित काउंसलिंग/सत्यापन में कोई भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

3. इसके उपरांत श्री ज्योति प्रकाश, अनुक्रमांक-114391 एवं सुश्री कोमल कुमारी, अनुक्रमांक-104163 को काउंसलिंग/सत्यापन की तिथि-09.03.2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित करते हुए इसकी सूचना विभागीय पत्रांक-106, दिनांक-19.02.2026 द्वारा दी गयी। पत्र को ई-मेल के माध्यम से भी भेजा गया। साथ ही दिनांक-25.02.2026 को प्रकाशित समाचार पत्र के माध्यम से भी दी गयी। परंतु निर्धारित काउंसलिंग/सत्यापन में कोई भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

4. पुनः श्री ज्योति प्रकाश, अनुक्रमांक-114391 एवं सुश्री कोमल कुमारी, अनुक्रमांक-104163 को काउंसलिंग/सत्यापन की तिथि-30.04.2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित करते हुए इसकी सूचना विभागीय पत्रांक-207, दिनांक-10.04.2026 द्वारा दी गयी। पत्र को ई-मेल के माध्यम से भी भेजा गया। साथ ही दिनांक-14.04.2026 को प्रकाशित समाचार पत्र के माध्यम से भी दी गयी। परंतु निर्धारित काउंसलिंग/सत्यापन में कोई भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

5. अतः सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा आयोजित कुल-04 काउंसलिंग में भाग नहीं लेने वाले 02 अभ्यर्थियों यथा—श्री ज्योति प्रकाश, अनुक्रमांक-114391 एवं सुश्री कोमल कुमारी, अनुक्रमांक-104163 की नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा रद्द की जाती है।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
नित्यानन्द प्रसाद,
अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (मुख्यालय)।

सं०-10 / विविध-05-1025 / 24-4000
जल संसाधन विभाग

08 सितम्बर 2026

प्रेषक,

सरफराज अहमद,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय,
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:-

पटना, दिनांक-08 सितम्बर, 2026
श्री सत्येन्द्र प्रसाद, (आई०डी०-5456), तत्कालीन सहायक अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटनाद्वारा पूर्व में सैन्य अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत "कनीय अभियंता" के पद पर दिनांक-04.02.2005 से दिनांक-17.02.2014 तक की गयी सेवा को वर्तमान धारित सेवा के साथ परिगणित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-

स्वीकृत ।

- यह स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या-665 दिनांक-15.07.2019 के प्रावधानों के आलोक में NPS से आच्छादित पूर्व की सेवा को वर्तमान की सेवा के साथ परिगणित करने हेतु प्रदान की जाती है।
- प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति एवं सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
सरफराज अहमद,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सं०-टी-4/योजना-06/2026-1581
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना

संकल्प

25 अगस्त 2026

विषय:— राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नामांकन प्रक्रिया में संशोधन करने एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्यद, पटना के माध्यम से करने की स्वीकृति के संबंध में।

वर्तमान में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शत-प्रतिशत नामांकन संस्थान के संचालकों/प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया में समरूपता एवं पारदर्शिता नहीं रहने के कारण नामांकन कम होता है तथा बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह जाती हैं।

02. राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्यद, पटना के माध्यम से करने का मुख्य उद्देश्य नामांकन प्रक्रिया में समरूपता लाना, पारदर्शी एवं समयबद्ध करना, अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को अवसर मिलना तथा नामांकन दर में वृद्धि करना है।

03. वर्तमान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्यद, पटना द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया के द्वितीय चरण (Mop-up कॉउंसेलिंग) से संकल्प संख्या-2112 दिनांक-21.04.2023 की कंडिका-(iv) में वर्णित जिला बंधेज के प्रावधान को मुक्त किया जाता है।

04. राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्यद, पटना के माध्यम से किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन पूर्व की भाँति लिया जा सकेगा। नामांकन प्रक्रिया में होने वाले व्यय का निर्धारण बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्यद, पटना के माध्यम से किया जायेगा।

05. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्यद, पटना द्वारा नामांकन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद रिक्त सीटों पर राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन संस्थान के संचालकों/प्रबंधकों द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।

06. संकल्प संख्या-2112 दिनांक-21.04.2023 एवं संकल्प संख्या-1666 दिनांक-19.12.2001 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

07. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०-अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना
10 सितम्बर, 2026

सं० 04/STA-(विविध)-04/2026, परि०-7603—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3) (c-a) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 एवं अधिसूचना संख्या-1405, दिनांक-18.02.2026 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत पूर्व से अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुसूची-क(ii) के रूप में कुल 4(चार) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुसूची-क(ii)					
मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत बसों के परिचालन हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3) (c-a) के तहत अधिसूचित होने वाले अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-					
क्र० सं०	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	अभियुक्ति
1	MPPY2052	नवादा से मलयपुर रेलवे स्टेशन	रोह, रूपौ, कौआकोल, धमनी चौक, महुडर, रोपाबेल, चननवर, गड़ही, कुरवाटांड, खैरा, बोधवन तालाब, मसौडी, मलयपुर रेलवे स्टेशन	100	आर०टी०ए०, गया
2	MPPY2053	धनरूआ से बैरिया बस पड़ाव पटना	घोषी, ईसलामपुर, एकंगरसराय, हिलसा, फतुहां	106	आर०टी०ए०, पटना
3	MPPY2054	जगतौली से पटना	लामीचौर, हुस्सेपुर, मीरगंज, सिवान, छपरा, हाजीपुर	198	आर०टी०ए०, छपरा
4	MPPY2055	बेतिया से गोपालगंज थावे मंदिर	बगही चौक, नौतन, शिवराजपुर बाजार, मंगलपुर गुदरिया, बिशुनपुर, यादोपुर, गोपालगंज	60	आर०टी०ए०, मुजफ्फरपुर

(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

10 सितम्बर, 2026

सं० 04/STA-(विविध)-04/2026, परि०-7602मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018, अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019, अधिसूचना संख्या-8961, दिनांक-31.12.2020, अधिसूचना संख्या-860, दिनांक-08.02.2021, अधिसूचना संख्या-5281, दिनांक-25.08.2021, अधिसूचना संख्या-6447, दिनांक-11.10.2021, अधिसूचना संख्या-1274, दिनांक-24.02.2022, अधिसूचना संख्या-1459, दिनांक-02.03.2022, अधिसूचना संख्या-376, दिनांक-20.01.2023, अधिसूचना संख्या-413, दिनांक-23.01.2023, अधिसूचना संख्या-4547, दिनांक-14.06.2023, अधिसूचना संख्या-9376, दिनांक-18.12.2023, अधिसूचना संख्या-580, दिनांक-25.01.2024, अधिसूचना संख्या-8722, दिनांक-04.07.2024, अधिसूचना संख्या-13144, दिनांक-30.10.2024,

अधिसूचना संख्या-10177, दिनांक-29.12.2025 एवं अधिसूचना संख्या-4466, दिनांक-05.06.2026 द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 की कंडिका-2 के आलोक में पूर्व में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(xvii) के रूप में कुल 4(चार) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करते हुए सम्मिलित किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुसूची-क(xvii)

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत विहित किये गये अतिरिक्त अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की सूची :-

क्र० सं०	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग का भाया	मार्ग की दूरी (कि०मी०)	प्राधिकार का नाम	अभ्युक्ति
1	5791	लालगढ़ से बगहा स्टेशन	बेतिया, लौरिया, चौतरवा, बगहा बाजार	171	आर०टी०ए०, मुजफ्फरपुर	
2	5792	अमनपुर से पटना	चुरौत, भीठामोर, सुरसंड, सीतामढ़ी, डुमरा, बोहा चौक, गरहा, रुन्नीसैदपुर, झपहा, द्रोणपुर, सहवाजपुर, न्युजीरोमाईल बस स्टैण्ड, मुजफ्फरपुर, भगवानपुर, सरैया, जतकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर	189	आर०टी०ए०, मुजफ्फरपुर	
3	5793	जगनपुरा मोड़ से गांधी मैदान पटना	अजय मार्केट, कंकड़बाग टेम्पु स्टैण्ड, पटना जंक्शन	10	आर०टी०ए०, पटना	
4	5794	बरबीघा से मानपुर गया	सारे, वारसलीगंज, नवादा, हिसुआ, वजीरगंज	123	एस०टी०ए०, बिहार	

(ह०)-अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No 1057—I, KHUSHBU KUMARI, W/O-Late Ashish Ranjan Sinha, residing at Moh-Vikas Nagar, PO-Biharsharif, PS-Laheri, Distt-Nalanda (Bihar), PIN-803101. That Aarvi Sinha is my daughter her mother's name is wrongly written on her CBSE Class 10th Educational Certificate (S) as Khushbu Sinha. That her mother's correct name as mentioned in Aadhar Card is Khushbu Kumari. Both names are same & one person. From now I will be known as Khushbu Kumari for all purposes. Affidavit No.-5537, Dated-30/04/2026.

KHUSHBU KUMARI.

सं० 1058—मैं मुकुन्द कुमार (MUKUND KUMAR), पिता-उपेन्द्र तिवारी (UPENDRA TIWARI) ग्राम- चमही, पोस्ट-कपूरपकड़ी, थाना-शिकारगंज, प्रखण्ड-चिरैया, जिला-पूर्वी चम्पारण, पिन कोड-845415, बिहार, उपरोक्त पते का स्थायी निवासी, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मुकुन्दन कुमार (MUKUNDAN KUMAR) अंकित हो गया है जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम मुकुन्द कुमार (MUKUND KUMAR) है, मेरे सभी शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम मुकुन्द कुमार (MUKUND KUMAR) ही अंकित है अतः भविष्य में मैं मुकुन्द कुमार (MUKUND KUMAR) नाम से ही जाना एवं पहचाना जाऊँगा. शपथ-पत्र शंख्या: 3476/30.06.2026.

मुकुन्द कुमार (MUKUND KUMAR).

No 1060—I, SAMMI Kumari, D/o-Brijnandan Sharma & W/o-Kumar Anand, R/o: Vill- Neema, PO-Nadwan, PS- Dhanarua, Dist- Patna (Bihar) declare through Affidavit No- 16763, dated- 01.09.2026, My name in the 10th Certificate and Voter Card is recorded as Sammi Kumari. But it is printed in Aadhaar as Sharma Saami Brijnadan and in PAN it is as Sharma Sammikumari B. that in future. I shall be known only as Sammi Kumari for all purposes.

SAMMI KUMARI.

No 1059—I, KAMLAWATI KUMARI, D/O-Late Vishnu Prasad, Presently residing at Quarter No.-B-1, DM Colony, P.O&P.S-Sasaram, District-Rohtas, Bihar, PIN-821115, and permanently residing at P.O+P.S-Pathrole, Dist.-Deoghar, Jharkhand, PIN-815353 do hereby affid. NO-19045 Dated-10/06/2026. That my Daughter, SWATI KUMARI, D/O-Ramesh Kumar in her 10th and Intermediate Marksheets, Certificates and Migration Certificate, my name has been wrongly mentioned as KAMALAWATI KUMARI instead of my correct name KAMLAWATI KUMARI which require rectification.

KAMLAWATI KUMARI.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं०—कारा/नि०को०(अधी०)—01—31 / 2026—8655
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प
07 सितम्बर 2026

दिनांक—20.06.2026 को आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में कारा निरीक्षणालय एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण/छापेमारी की गई, जिसमें कतिपय गंभीर अनियमितता एवं कुव्यवस्था पाई गयी है; यथा—कारा के अन्दर लगभग सभी वार्डों में अवैध रूप से मेस का संचालन एवं खाना बनाने हेतु हीटर का प्रयोग किया जाना, जाँच दल के कारा में रहते हुए बंदियों द्वारा हीटर पर खाना बनाया जाना, कैटीन में **MRP** से अधिक दर पर बंदियों को सामान बेचा जाना, बाहर से सामान खरीदकर कारा प्रशासन द्वारा बंदियों को उच्च दर पर उपलब्ध कराया जाना, निर्धारित मेन्यू के अनुसार बंदियों को भोजन नहीं दिया जाना तथा अधिकतर बंदियों द्वारा प्राईवेट मेस का संचालन एवं उससे भोजन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना एवं जिसके लिए बंदियों से अवैध वसूली किया जाना, उच्च सुरक्षा कक्ष में तरुण बंदियों को उम्रदराज एवं कुख्यात बंदियों के साथ रख कर तरुण बंदियों के मानसिक एवं शारीरिक शोषण के मार्ग को प्रशस्त करना एवं इस अनाचार को बढ़ावा देना, लेखा पंजियों का संधारण नियमानुसार नहीं पाया जाना, जाँच के क्रम में कारा पदाधिकारी द्वारा जाँच टीम को सहयोग नहीं किया जाना तथा जाँच के समय बिना सुरक्षा के बंदियों के बीच जाँच दल को छोड़कर बाहर चले जाना, जाँच के क्रम में अवकाश में रहने के बावजूद श्री नीरज कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना द्वारा कारा में पहुँचकर जाँच कार्य में प्रतिरोध उत्पन्न करना उनकी गंभीर अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, लापरवाही एवं धृष्टता का परिचायक है। उपरोक्त कुव्यवस्था एवं गंभीर अनियमितता तथा कारा में व्याप्त अराजकता के लिए श्री नीरज कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना पूर्णतः दोषी पाये गये।

2. उपरोक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—9(1) के तहत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक—6019 दिनांक—23.06.2026 द्वारा श्री नीरज कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा निलंबनावस्था में उनका मुख्यालय विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर निर्धारित किया गया। साथ ही श्री झा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर अलग से विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17 (3) के तहत श्री झा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया, जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त उक्त नियमावली के नियम—17 (4) के तहत विभागीय ज्ञापांक—7076 दिनांक—22.07.2026 द्वारा श्री झा को आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की छायाप्रति उपलब्ध

कराते हुए उनसे पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गई है। श्री झा का लिखित बचाव अभिकथन सम्प्रति अप्राप्त है। श्री झा के विरुद्ध अग्रेतर अनुशासनिक कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

4. कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से श्री नीरज कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना (सम्प्रति निलंबित) संलग्न विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

5. श्री झा के निलंबन अवधि के संबंध में उनके विरुद्ध प्रक्रियाधीन अनुशासनिक कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त अलग से निर्णय लिया जायेगा।

6. उपरोक्त पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव जमुआर,
अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

**उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**अधिसूचना
07 सितम्बर, 2026**

सं० प्र०-13-107 / 2026-5572—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के प्रावधानों के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-5236 दिनांक 21.11.2022 के द्वारा श्री सुनील कुमार तिवारी, पता— सिया सदन बैंक्स मेन कॉलोनी महिला थाना हाजीपुर (वैशाली) की नियुक्ति जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मुजफ्फरपुर में योगदान की तिथि से 04 वर्षों अथवा 65 वर्षों की उम्र सीमा जो भी पहले हो के लिए सदस्य के पद पर की गयी थी।

2. अधिवक्ता, श्रीमती श्वेता ठाकुर पति—श्री पीयूष प्रतीक पता— श्रीकृष्णापुरी ग्राम—शेखपुर न्यू जीरो माईल जिला—मुजफ्फरपुर के द्वारा श्री सुनील कुमार तिवारी, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मुजफ्फरपुर पर यौन उत्पीड़न एवं अन्य से संबंधित आरोप लगाते हुए आरोप से संबंधित परिवाद पत्र सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं माननीय अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया गया है। परिवाद पत्र में वर्णित आरोपों की जाँच राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना से करायी गई।

3. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में श्री सुनील कुमार तिवारी, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मुजफ्फरपुर पर लगाया गया आरोप प्रमाणित पाया गया।

4. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 की कड़िका-8 में वर्णित शर्तों का उल्लंघन करने के आलोक में श्री सुनील कुमार तिवारी, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मुजफ्फरपुर की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश,
सत्येन्द्र नारायण सिंह,
सरकार के उप सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 26—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>**